

6/6
24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षी-
गण के सम्मन प्राप्त तामिल होकर जि. ० एडी से प्राप्त
हुए जिसे शा. प. किये गये। विपक्षीगण को दिवनी
मर्तवा कक-कक कर आवाजे दिखायी जाने के बाद
भी उपस्थित नहीं, इनके पिकट एकतरफा कार्यवाही
किये जाने का आदेश दिया जाता है, वकील प्रार्थी
का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से
लिखा जाकर शा. प. किया गया। पत्रावली कुल
अंशों में होकर नम्बर से कम हो।

+K
उपखण्ड अधिकारी
भांडल जिला भीलवाड़ा

